



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235503
CG-DL-E-02052022-235503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1945]
No. 1945]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

का.आ. 2045(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यहां संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 717बी (NH-717B) (रोंगली-रोलेप-मेनला) के कि.मी. 20.340 से कि.मी. 90.100 के निर्माण (पेव सोल्डार के साथ 2 लेन बनाया जाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) तथा (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिला, तालुक तथा गांव से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के खंड के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 717B के कि. मी. 20.340 से कि. मी. 90.100 (रोंगली-रोलेप-मेनला सेक्शन) तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पाक्योंग	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH717B के कि.मी. 20.34 से 90.1 तक	सिक्किम	पाक्योंग	पाक्योंग	1 छुचेनफेरी
					रोंगली	1 चूजाचेन 2 रोंगली बज़ार् 3 लामाते 4 रोलेप

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Rhenock/LA/NH-717B/Rongli-Rolep-Menla/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

S.O. 2045(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the Competent Authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km 20.340 to Km 90.100 (Section of Rongli-Rolep-Menla) of National Highway No 717B for building (widening / two-laning, etc.), including the bypasses, maintenance, management and operation in Pakyong District in the State of SIKKIM, as specified in the schedule given below:

SCHEDULE

Acquisition of Land in respect of National Highway No. NH717B in the State of SIKKIM on the stretch from Km 20+340 to Km 90+100 (Section of Rongli-Rolep-Menla)

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Collector, Pakyong	20.34KM To 90.1KM	SIKKIM	PAKYONG	Pakyong	1 Chuchenpheri
					Rongli	1 Chujachen 2 Rongli Bazar 3 Lamaten 4 Rolep

[F. No. NHIDCL/PMU-Rhenock/LA/NH-717B/Rongli-Rolep-Menla/2022]

RAJESH GUPTA, Director